

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)
क्रमांक:- एफ.4(ख)आर-1340/2013/ अलेसे-III/ 582

दिनांक:- 05-05-25

कार्यालय आदेश

श्री राजेश कुमार मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II हाल प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को विभागीय आदेश क्रमांक एफ.4(ख)आर-1340/2013/ अलेसे-III/5866 दिनांक 27.03.2025 के द्वारा निलंबित किया जाकर मुख्यालय कोषालय, अजमेर किया गया था, जिसके विरुद्ध श्री मीणा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या-2464/2025 दायर की गई। माननीय अधिकरण के द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 22.04.2025 के क्रम में निलंबन आदेश दिनांक 27.03.2025 का क्रियान्वयन आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया।

श्री मीणा द्वारा उक्त स्थगन आदेश के क्रम में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, आमेर जिला जयपुर में उपस्थिति देने पर पद रिक्त नहीं होने से इस निदेशालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की। अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के आदेश दिनांक 22.04.2025 की अनुपालना में श्री राजेश कुमार मीणा, सलेअ-II हाल मुख्यालय निदेशक कोष एवं लेखा जयपुर से पदस्थापन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में सलेअ-II के रिक्त पद पर में किया जाता है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.3(ख)आर-1340/2013/ अलेसे-III/ 582

दिनांक:- 05-05-25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, आमेर जिला जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. राजेश कुमार मीणा, सलेअ-II हाल मुख्यालय निदेशक कोष एवं लेखा जयपुर
5. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा।
6. पदस्थापन शाखा/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
7. संयुक्त निदेश परामर्श

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)